संख्या : 86/2016/1379/छप्पन-2016-6/2016

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 03 नवम्बर, 2016

विषय : जनपद मेरठ स्थित डा0 भीमराव अम्बेडकर राजकीय हवाई पट्टी की रि-सरफेसिंग एवं अन्य सम्बद्ध कार्यों के लिए अवशेष धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक : 399/ए0एफ0-8-84/2016, दिनांक 04-10-2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा जनपद मेरठ स्थित डा0 भीमराव अम्बेडकर राजकीय हवाई पट्टी की रि-सरफेसिंग एवं अन्य सम्बद्ध कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण किये जाने हेतु अवशेष धनराशि रू0 1,38,00,000/- (रूपये एक करोड़ अड़तीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जारी कराने का अनुरोध किया गया है।

2- जनपद मेरठ स्थित डा0 भीमराव अम्बेडकर राजकीय हवाई पट्टी की रि-सरफेसिंग एवं अन्य सम्बद्ध कार्यों के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या : 52/2016 /619/छप्पन-2016-06/16, दिनांक 13-7-2016 द्वारा कार्यदायी संस्था राइटस लि0 द्वारा गठित आगणन के आधार पर रू0 2,76,00,000/-(रूपये दो करोड़ छिहत्तर लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 1,38,00,000/- (रूपये एक करोड़ अड़तीस लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। प्रशासकीय रूप से अनुमोदित की गई उक्त धनराशि में से अवमुक्त की गई धनराशि को घटाने के पश्चात धनराशि रू0 1,38,00,000/- (रूपये एक करोड़ अड़तीस लाख मात्र) अवमुक्ति हेतु अवशेष है।

3- अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय जनपद मेरठ स्थित डा0 भीमराव अम्बेडकर राजकीय हवाई पट्टी की रि-सरफेसिंग एवं अन्य सम्बद्ध कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण किये जाने हेतु अवशेष धनराशि रू0 1,38,00,000/- (रूपये एक करोड़ अड़तीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए द्वितीय किश्त के रूप में उक्त धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

---2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- उपर्युक्त पर होने वाले व्यय को वित्तीय 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 38 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-02- विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहत्त निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

5- पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या: 52/2016/619/छप्पन-2016-6/16, दिनांक 13-7-2016 में इंगित नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव

संख्या : 86/2016/1379(1)/छप्पन-2016-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/मेरठ ।
4- जिलाधिकारी, मेरठ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।